न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी : श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या : 377 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 उदाराम पुत्र खेताराम 2 कलावती पत्नी मूलाराम 3 नोजी पत्नी पांचाराम 4 पन्ना पुत्र पांचाराम 5 पुष्पा 6 पार्वती पुत्रीयान मूलाराम 7 भीखाराम पुत्र वगताराम 8 मनभी पत्नी वगताराम 9 ममता पुत्री मूलाराम 10 मूमल पत्नी भीखाराम 11 महादेव पुत्र मूलाराम 12 मांगा पुत्र पांचाराम 13 हरजीराम पुत्र वगताराम 14 हरीश पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी कड़वासरों की ढाणी खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 अमेदाराम 2 छगनाराम 3 मुकनाराम पिसरान लाभाराम 4 सुरजी पत्नी लाभाराम 5 रावताराम पुत्र ईशराराम 6 पदमाराम पुत्र गोरधनराम 7 फतु पत्नी गोरधनराम 8 लक्ष्मणराम 9 हरीराम पिसरान गोरधनराम जाति मेघवाल निवासी कडवासरों की ढाणी, खुडासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 10 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील प्रार्थीगण पक्ष।
2. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील अप्रार्थीगण पक्ष।

आदेश

दिनांक 15/01/25

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 293 / 194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जो भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की पैतृक भूमि के मूल खसरा संख्या 194 की भूमि में अप्रार्थीगण को जरिये पंजीबद्ध बेचान भूमि रकबा 5.9004 हैक्टेयर भूमि की गई बाद बेचान अप्रार्थीगण के पूर्वज और वर्तमान में अप्राथी संख्या 01 से 09 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा बेचान के बाद अप्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण पारित कर बेचान की गई भूमि लठ्ठा ट्रेस में अंकन करना था परन्तु इसके विपरित पटवारी हल्का ने गलत रूप से लठ्ठा ट्रेस में अंकन कर दिया तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 374 / 194, खसरा संख्या 292 / 194 व खसरा संख्या 372 / 194 है। उक्त बेचान के पश्चात तरमीम भी हुई परन्तु मौके व कब्जा काश्त अनुसार नही होकर मौके से विपरित कर दी गई। राजस्व अधिकारियों से मौके के अनुसार नही कर गलत तरमीम कर दी गई जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमाबन्दी में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है। राजस्व कर्मचारियों ने लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय मौक व कब्जा काश्त के विपरित कर दी गई। प्रार्थीगण [illegible] वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला [illegible] 293 / 194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम मौके के अनुसा[illegible] कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई, जो तरमीम प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

सील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 293/194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर भूमि की तरमीम दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच खेतों की तरमीम की गई है जो मौके व कब्जा काश्त अनुसार नही है। राजस्व अधिकारियों से मौके के अनुसार नही कर गलत तरमीम कर दी गई जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व जमाबन्दी में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है। राजस्व कर्मचारियों ने लठ्ठा ट्रेस मे तरमीम करते समय मौक व कब्जा काश्त के विपरित कर दी गई। प्रार्थीगण मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 293/194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर भूमि में तथा अप्रार्थीगण के खेत मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 374/194, 292/194 व 372/194 की भूमि की वर्तमान राजस्व नक्शा में तरमीम मौके के अनुसार नहीं कर राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच किये तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार न कर गलत तरमीम अंकित की दी गई। लिहाजा प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 293/194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर भूमि में तथा अप्रार्थीगण के खेत मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 374/194, 292/194 व 372/194 की भूमि की तरमीम दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व/2024/1967 दिनांक 17.12.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 293/194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर भूमि तथा मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 374/194 रकबा 1.9668 खसरा संख्या 292/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर व खसरा संख्या 372/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर की भूमि की वर्तमान तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार है, जिसके कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है। उभय पक्षकारान मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 293/194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर भूमि तथा मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 374/194 रकबा 1.9668 खसरा संख्या 292/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर व खसरा संख्या 372/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर की भूमि की वर्तमान तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार की जानी प्रस्तावित है।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों को को सुना गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाटाडू की मौका रिपोर्ट के मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 293/194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर व खसरा

या 374/194 रकबा 1.9668 खसरा संख्या 292/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर व खसरा संख्या 372/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर की भूमि की लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2076–2079, नक्शों एवं संलग्न परिशिष्ठो का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु खातेदार द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः म मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 293/194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर व खसरा संख्या 374/194 रकबा 1.9668 खसरा संख्या 292/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर व खसरा संख्या 372/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर की भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "अ" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 293/194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर व खसरा संख्या 374/194 रकबा 1.9668 खसरा संख्या 292/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर व खसरा संख्या 372/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर की भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "अ" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उभय पक्षों की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुड़ासा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 293/194 रकबा 16.9725 हैक्टेयर व खसरा संख्या 374/194 रकबा 1.9668 खसरा संख्या 292/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर व खसरा संख्या 372/194 रकबा 1.9668 हैक्टेयर की भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "अ" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "अ" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 15/01/25 को खुले आम सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर